तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामदेव vs रामदेव माली 61/[illegible]/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित है। वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोठडा के खाता संख्या 193 में स्थित है। उक्त खाता संख्या के खसरा संख्या 2486, 2489, 2529, 2531 के पडोसी काश्तकार आदे दिन लडाई–झगडा करके भूमि की मेढों का तोडते है व प्रार्थी के कब्जे में दखअंदाजी करते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भूमि का सीमाज्ञान करने के लिए आदेश प्राप्त कर मौके पर सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान बुलाया गया परन्तु वे मौके पर नहीं आकर बार–बार व्यवधान पैदा कर रहे है व खसरा संख्या 2489 में प्रार्थी की सीमाबंदी को हटाकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2489 का सीमाज्ञान करवाया जावें। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए मौके पर कोई विवाद नहीं होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने निवेदन किया गया। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खसरा संख्या 2489 जो कि प्रार्थी की खातेदारी में अंकित है। उक्त भूमि का प्रार्थी पत्थर गढी करवाना चाहता है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी में अंकित होने से उसको अपनी भूमि की सीमाओं का माप करवाने का अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 2489 रकबा 1.16 बीघा वाके ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा की प्रार्थीगण व अप्रार्थीग की उपस्थित में उक्त आराजी की पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। नायब तहसीलदार, दबलाना नियमानुसार राजकीय राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा करवाकर दोनों पक्षकारों को सूचित करते हुए, उनकी उपस्थिति में विवादित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करे। पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	